

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-5

संख्या: 92 XX(5)/24-03(10)2024-81693

देहरादून, दिनांक 25 जनवरी 2025

अधिसूचना

समान नागरिक संहिता पोर्टल पर विवाह, पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति, विवाह विच्छेद/विवाह की अकृकता, सहवासी सम्बन्ध, सहवासी सम्बन्ध की समाप्ति, इच्छापत्ररहित मृतक संबंधी उत्तराधिकार, इच्छापत्रीय उत्तराधिकार के अन्तर्गत समस्त पंजीकरण, अपील एवं शिकायत दर्ज किये जाने हेतु सी0एस0सी0 एस0पी0वी0 उत्तराखण्ड को सेवा प्रदाता संस्था अधिकृत करते हुए उपरोक्त सेवाओं हेतु 50/- (पचास रुपये मात्र जी0एस0टी0 सहित) शुल्क निर्धारित किया जाता है।

2. उक्त सेवाओं हेतु निर्धारित धनराशि 50/- (पचास रुपये मात्र जी0एस0टी0 सहित) नागरिकों से प्रति सेवा हेतु शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

Signed by

Shailesh Bagauli

(शैलेश बगौली)

Date: 25-01-2025 11:54:45 सचिव।

संख्या: 92 XX(5)/24-03(10)2024-81693 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपरमुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव/अपरसचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष, यू0सी0सी0 क्रियान्वयन समिति, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. महानिरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक आई0टी0डी0ए0, देहरादून उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, (एन0आई0सी0) देहरादून उत्तराखण्ड।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित की उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by

Nivedita Kukreti

Date: 25-01-2025 12:03:32

(निवेदिता कुक्रेती)

अपरसचिव।